

वशेष आरुथकि क्षेतर (संशोधन) वधियक, 2019

चरुचा में क्युँ?

राज्य सभा ने वशेष आरुथकि क्षेतर (संशोधन) वधियक, 2019 [Special Economic Zones (Amendment) Bill, 2019] को मंजूरी दे दी है जो उद्युगुँ को वशेष आरुथकि क्षेतरुँ में इकाइयुँ की स्थापना की अनुमति प्रदान करता है ।

प्रमुख बदि

- यह वधियक मार्च 2019 में प्रवर्तति वशेष आरुथकि क्षेतर (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का स्थान लेगा एवं राष्ट्रपति से मंजूरी मलिने के बाद कानून बन जाएगा ।
- सरकार का मानना है कि SEZ अधिनियम, 2005 (SEZs Act, 2005) के वर्तमान प्रावधान, व्यापारकि संस्थाओँ को वशेष आरुथकि क्षेतरुँ में व्यापारकि इकाइयुँ स्थापति करने की अनुमति नहीं देते हैं । लेकिन वशेष आरुथकि क्षेतर (संशोधन) वधियक, 2019 SEZ में इकाइयुँ स्थापति करने के लयि अनुमति देने पर वधिार कयिा जा सकेगा ।
- यह संशोधन केंद्र सरकार को कसिी व्यक्ती या कसिी भी संस्था को परभिषति करने के संबंध में लचीलापन प्रदान करेगा जसिे केंद्र सरकार समय-समय पर अधिसूचति कर सकती है । सरकार का मानना है कि इस संशोधन से SEZ में कयिे जाने वाले निवेश में भी वृद्धि होगी ।
- कानून के अनुसार, एक व्यक्ती, एक हदुि वभिाजति परिवार, एक कंपनी, सहकारी समतििा एक फर्म को 'व्यक्ती' की परभिषा के अंतर्गत आते हैं ।
- वाणजिय मंत्रालय के अनुसार, यह एक छोटा सा संशोधन है जसिका निवेश, नौकरी और वकिस पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा ।

वशेष आरुथकि क्षेतर (Special Economic Zone) क्युँ है?

- वशेष आरुथकि क्षेतर अथवा सेज़ (SEZ) उस भौगोलकि क्षेतर को कहते हैं, जहाँ से व्यापार, आरुथकि क्रयिकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायकि गतिविधियुँ को संचालति कयिा जाता है ।
- ये क्षेतर देश की सीमा के भीतर वशेष आरुथकि नियम-कायदुँ को ध्यान में रखकर व्यावसायकि गतिविधियुँ को प्रोत्साहति करने के लयि वकिसति कयिे जाते हैं ।
- भारत उन शीर्ष देशुँ में से एक है, जनिहोंने उद्युग तथा व्यापार गतिविधियुँ को बढ़ावा देने के लयि वशेष रूप से ऐसी भौगोलकि इकाइयुँ को स्थापति कयिा ।
- भारत पहला एशियाई देश है, जसिने निर्यात को बढ़ाने के लयि वर्ष 1965 में कांडला में एक वशेष क्षेतर की स्थापना की थी । इसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन (EPZ) नाम दयिा गया था ।

स्रोत: द हदुि, लाइव मटि